रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062020-220112
CG-DL-E-23062020-220112

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1789] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2020/ आषाढ़ 02, 1942
No.1789] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2020/ ASHADHA 02, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2020

का.आ. 2014(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकरण 'ग्रेटर नोएडा इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट अथारिटी' (पैन AAALG0129L) को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ उस प्राधिकरण को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के बारे में अधिसूचित करती है; नामतः

(क) राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान;

(ख) अचल संपत्ति के निपटान / 90 वर्ष के पट्टे से प्राप्त धनराशि;

(ग) पट्टा किराया (लीज रेट) तथा फीस अथवा अचल संपत्ति के निपटान/90 वर्ष पट्टे से किसी अन्य प्रकार द्वारा प्राप्त धनराशि;

(घ) बैंकों में जमा निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि;

(ङ) विभिन्न अचल संपत्तियों के आवंटियों से प्राप्त अस्थगित भुगतान पर प्राप्त ब्याज/अर्थदण्ड की राशि; तथा

(च) विभिन्न अचल संपत्तियों के आवंटियों जल, सीवेज तथा अन्य नगरीय प्रभार;

2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि ग्रेटर नोएडा इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट अथारिटी,-

(क) किसी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति तथा गतिविधियां पूरे वित्त वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहेंगी;

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खण्ड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा; तथा

(घ) चार्टर्ड अकाउटेंड से इस प्रमाण पत्र के साथ कि उपरोक्त शर्तें संतोषजनक हैं, सहित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288(2) के स्पष्टीकरण में यथा प्रदान की गई अकाउटेंड द्वारा विधिवत सत्यापित विवरणी के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट दायर करेगा।

3. इस अधिसूचना को कर निर्धारण वर्ष 2012-2013 में 01 जून, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए लागू होना माना जाएगा और यह कर निर्धारण वर्ष 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 तथा 2020-2021 के बारे में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 33/2020 फा.सं. 300196/39/2018-आईटीए-I]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस अधिसूचना को ग्रेटर नोएडा इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट अथारिटी बनाम भारत संघ तथा अन्य [डब्ल्यू. पी. (सिविल) 2017 की सं. 732] दिनांक 26 फरवरी, 2018 के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए कर निर्धारण वर्ष 2012-2013 में 1 जून, 2011 से 31 मार्च, 2012 की अवधि के लिए तथा कर निर्धारण वर्ष 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 तथा 2020-2021 से भी पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाएगा। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति का हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2020

S.O. 2014(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Greater Noida Industrial Development Authority', (PAN AAALG0129L), an authority constituted by the State Government of Uttar Pradesh, in respect of the following specified income arising to that Commission, namely:—

(a) Grants received from the State Government;

(b) Moneys received from the disposal/90 years lease of immovable properties;

(c) Moneys received by the way of lease rent & fees or any other charges from the disposal/90 years lease of immovable properties;

(d) The amount of interest earned on the funds deposited in the banks;

(e) The amount of interest/penalties received on the deferred payment received from the Allotees of various immovable properties; and

(f) Water, sewerage and other municipal charges from the Allotees of various immovable properties.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Greater Noida Industrial Development Authority,-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

(d) shall file the Audit report along with the Return, duly verified by the accountant as provided in explanation to section 288(2) of the Income-tax Act, 1961 along with a certificate from the chartered accountant that the above conditions are satisfied.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the period from 01-06-2011 to 31-03-2012 in the assessment year of 2012-2013 and also from the assessment years 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 and 2016-2017.

[Notification No. 33/2020 F.No.300196/39/2018-ITA-I]

PRAJNA PARAMITA, Director

Explanatory Memorandum

This notification shall be given retrospective effect for the period from 01-06-2011 to 31-03-2012 in the assessment year of 2012-2013 and also from the assessment years 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 and 2016-2017, in view of the Order of the Hon'ble High Court of Delhi in matter of Greater Noida Industrial Development Authority V. Union of India and Others [W.P. (Civil) No.732 of 2017], dated 26th Day of February, 2018. It is certified that by giving retrospective effect to the notification no person will adversely get affected.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.06.23 21:13:30 +05'30'